न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15 / 19 वाद
श्रीमती हमेरी पुत्री खेमा उर्फ खुमा जी जाति पत्नी पुरा जी भील उम्र वयस्क निवासी नला फला, देबारी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राज0

वादीया

बनाम

1. लाला उर्फ मांगीलाल पिता खेमा उर्फ खुमाजी भील उम्र वयस्क निवासी नला फला, देबारी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राज0
2. नानका उर्फ चेना पिता खेमा उर्फ खुमाजी भील उम्र वयस्क निवासी नला फला, देबारी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राज0
3. श्रीमती नौंथी पत्नी स्वर्गीय श्री खेमा उर्फ खुमाजी भील उम्र वयस्क निवासी नला फला, देबारी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राज0
4. प्रभुलाल पिताश्री वरदा जी भील उम्र वयस्क निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, उदयपुर राज0
5. रोडा पिता श्री वरदा जी गमेती भील उम्र वयस्क निवासी नाहर मगरा तहसील मावली, उदयपुर राज0
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर राज0

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 जा.दी.

श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी संख्या 5)

निर्णय

दिनांक : 13.09.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मौजा नला फला पटवार क्षेत्र देबारी तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 582, 583, 584, 585, 598, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 1902 किता 16 रकबा 1.1350 हेक्टेयर में अंकित आराजीयात में 1/2 हिस्सा वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1,2 के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 1,2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति खेमा नाम दर्ज चला आया है और खेमा ही काबिज हो काश्त करते आये है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति खेमा उर्फ खुमा की मृत्यु बाद पटवारी हल्का एवं राज्य कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी नं. 1 से 3 ने अपने नाम नामान्तरण खुलवा दिया जो अवैध है चुकिं वादीया खेमा उर्फ खुमा की पुत्री है एवं खेमा उर्फ खुमा की प्रतिवादी न. 1 से 3 के साथ वादीया भी उतराधिकारी है। वाद की कलम संख्या [illegible] में वादीया का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का प्रत्येक का 1[illegible] 1/8 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार वादीया एवं [illegible] काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात के [illegible] वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से को अन्य क्रेताओं को विक्रय [illegible] एवं इन क्रेताओं ने अपने अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया। गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 ने वादग्रस्त आराजीयात में अपना पुरा 1/6 हिस्सा बताते हुए एक नुमाईशी विक्रय पत्र को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष मे सम्पादित करा दिया जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gu
Date: 2022.01.05 15:41:30 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वादीया के मुकाबले बेअसर होकर शुन्य है तथा पुनः प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना 1/6, 1/6 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जो वादीया के मुकाबले बेअसर होकर शुन्य है।

अतः वादीया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1से 5 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वाद की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात में वादीया को 1/8 वॉ हिस्सा की खातेदार घोषित फरमाई जावे। तथा 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में से घटाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये राम्मन सुचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया और प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि वादीया ने खेमा की पुत्री होने का कथन करते हुए यह वाद माननीय न्यायालय में प्ररतुत किया है और क्योंकि वादीया जो कि अनुसूचित जनजाति से होकर उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है और साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान दे रखे है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पुत्री को उसके पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई अधिकार कानूनन उत्पन्न नहीं होता है और फिर भी वादीया द्वारा यह वाद खेमा उर्फ खुमा की सम्पत्ति में हिस्सा लेने बाबत् माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 के तहत पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। वादीया ने जो वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसको अवैध एवं शून्य घोषित कराने बाबत् प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में जब तक वादीया, प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा दे तब तक यह वाद कानूनन पोषणीय नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र को निरस्त कराने बाबत् वाद सिविल न्यायालय में ही पोषणीय है ऐसी स्थिति में उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होने से उक्त वाद निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि यह साक्ष्य का विषय है तो प्रकरण में तनकी तैयार होकर साक्ष्य हो जाए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया गया कि वादीया के पिता खेमा से प्रतिवादी संख्या 5 रोडा ने खरीदी है। उक्त वाद खेमा की पुत्री हमेरी लेकर आई है जो कि अनुसूचित जनजाति की होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 के [illegible] कोई अधिकार नहीं रखती है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] धारा–2 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए लागू नहीं [illegible] प्रकरण में वादीया ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि [illegible] नामान्तकरण खुला है। उक्त वादग्रस्त भूमि का 2012 में ही [illegible] चुका है एवं निम्न दृष्टांत पेश किए–

1. Civil Appeal No. 9519 of 2019 (Arising out of SLP (c) No. 11618 of 2017 : Decided on 9th July, 2020

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:30 IST
Reason: SelfAttested

2. S.B. Civil Writ Petition No. 10174 of 2020 - Decided on 9th March, 2021

3. प्रकरण सख्या अपील / एल.आर / 36 / 03 / अलवर (11947 / 03) निर्णय दिनांक 18.09.2006

उपरोक्त दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का विस्तृत अध्ययन किया गया।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) निम्न प्रकार है–

उप धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो सविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे।

उपरोक्त धारा यह जाहिर करती है कि अधिनियम अनूसूचित जनजाति पर नहीं लागु होता है जब तक की केन्द्रीय सरकार, जनजाति के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू करने हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं करे। वादिया द्वारा प्रस्तुत ID proof एवं जमाबदी से स्पष्ट है कि वादीया एवं उनके पिता गमेती जाति के है जो अनुसूचति जाति होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता है। अतः पक्षकार पुराने हिन्दू लॉ या रूढिजन्य विधि से शासित होते है। अतः वादग्रसत आराजीयात हेत वादिया का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत पोषणीय नहीं है।

अतः वादीया का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 के तहत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार होने से वादीया का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
पिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
पिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gu
Date: 2022.01.05 15:41:30 IS
Reason: SelfAttested